संख्याः16/2021/670/46-1-2021-20(05)/2019टी.सी.

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2021

विषयः- गन्ना शोध केन्द्र गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु प्रक्षेत्र पर प्रयुक्त होने वाले निवेशों हेतु धनराशि रू.25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-195/लेखा-बजट (चीनी), दिनांक 10-02-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें गन्ना शोध केन्द्र गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु प्रक्षेत्र पर प्रयुक्त होने वाले निवेशों के लिए धनराशि रू.25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु प्रक्षेत्र पर प्रयुक्त होने वाले निवेशों के लिए धनराशि **रू.25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र)** आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्राविधानित मद के अतिरिक्त किसी अन्य मद में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च,2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2021

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(6) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 004-अनुसंधान 03-गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना 24-बृहत निर्माण कार्य"**के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-260/दस-2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्याः16/2021/670(1)/46-1-2021-20(05)/2019टी.सी., तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ.प्र.,प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ.प्र.,प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा),उ.प्र.,छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

6. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है